राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता

- महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र के बिना परिसर में प्रवेश निषेध है अतः महाविद्यालय में अपना परिचय पत्र सदैव अपने पास रखें।
- महाविद्यालय द्वारा जारी सूचनाओं हेतु छात्र कॉलेज की वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन करें।
- छात्रों से कक्षा के भीतर, प्रयोगशालाओं और कॉलेज परिसर में स्वच्छता बनाए रखना एवं प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना अपेक्षित है।
- माननीय उच्च न्यायलय के नियमानुसार, विश्वविद्यालय परीक्षाओं की पात्रता हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक विषय तथा प्रश्नपत्र में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
- छात्रों को कॉलेज की संपतियां, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री को सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। इनकी क्षति होने की स्थिति में जुर्माना या कॉलेज से निलबंन का प्रावधान है।
- महाविद्यालय परिसर एवं पर्यावरण को स्वच्छ, सुंदर बनाए रखें और जल, ऊर्जा और पर्यावरण के संरक्षण में संबंध में उचित संज्ञान ले।
- विद्यार्थी रिक्त कालांश में पुस्तकालय का सदुपयोग करें।
- संस्था विरोधी, राष्ट्रविरोधी, असामाजिक, सांप्रदायिक, अनैतिक, रैगिंग या राजनीतिक अभिव्यक्ति परिसर के भीतर निषिद्ध और दंडनीय है।
- महाविद्यालय में तंबाकू, पान मसाला, गुटखा या कोई अन्य तंबाकू उत्पाद, धूम्रपान या अन्य नशीले पदार्थो का सेवन वैद्यानिक अपराध है। इसके लिए अपराधों को नियमानुसार दंडित किया जाएगा।
- कॉलेज परिसर में प्राचार्य की अनुमति के बिना किसी भी मुद्रित सामग्री को प्रसारित करना निषिद्ध है।
- कॉलेज सम्पति की चोरी /चोरी का प्रयास और कॉलेज परिसर में किसी अन्य की व्यक्तिगत और सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय कृत्य माना जाएगा।
- कक्षा के दौरान मोबाइल का उपयोग वर्जित है।
- कोई भी कृत्य जो शिक्षण कार्य, अनुसंधान और प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालता है महाविद्यालय परिसर में निषिद्ध है।
- सभी छात्रों का कोविड–19 टीकाकरण और महाविद्यालय परिसर में कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यवहार करना अनिवार्य है।
- महाविद्यालय परिसर में अन्य विद्यार्थी या विद्यार्थियों या समूह पर हमला करना, परेशान करना, डराना या धमकाना वर्जित है।
- महाविद्यालय परिसर में ताश खेलना, मोबाइल पर गेम खेलना, थूकना और र्निउदेश्य घूमना आदि प्रतिबंधित है। ऐसा करते हुए पाए जाने पार सजा/अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है।
- विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय के शैक्षणिक/अशैक्षणिक सदस्यों के साथ अभद्रता, उच्छृंल्खलता, अनुशासनहीनता, दुराचरण करने पर एवं महाविद्यालय की सम्पति को नुकसान पहुंचाने, क्षतिग्रस्त करने पर महाविद्यालय द्वारा आर्थिक दंड, निलंबन या निष्कासन किया जा सकता है।

प्राचार्य